संख्या-6/2021/जी-2-151/दस-2021-200/88

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर,2021

विषयः- राज्य सरकार के कर्मचारियों की मृत्यु होने की दशा में उन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश के लिए नकदीकरण की देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु आश्रित पात्रों की वरीयता का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-सा0-4-393/दस-99-200/88, दिनांक 01 जुलाई, 1999 में निहित शर्तो के अधीन सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान के प्रकरणों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में देय धनराशि को आश्रित पात्रों को भुगतान किये जाने हेतु राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत् वरीयता निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :--

(i) यदि मृत सरकारी सेवक पुरूष था तो विधवा को और यदि स्त्री थी तो पति को। विधवा को भुगतान होने की दशा में यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सबसे बडी जीवित विधवा को;

स्पष्टीकरण- पद "सबसे बडी जीवित विधवा" का अर्थ जीवित विधवाओं के विवाह की तिथि के अनुसार वरिष्ठता के सन्दर्भ में लगाया जाएगा, न कि उनकी आयु के सन्दर्भ में;

(ii) विधवा या पति, जैसा भी मामला हो, के न होने पर सबसे बडे जीवित पुत्र को या एक दत्तक पुत्र को;

(iii) उपरोक्त (i)और (ii) के न होने पर, सबसे बडी जीवित अविवाहित पुत्री को;

(iv) ऊपर (i) से (iii) के न होने पर, सबसे बडी जीवित विधवा पुत्री को;

(v) ऊपर (i) से (iv) के न होने पर, पिता को;

(vi) ऊपर (i) से (v) के न होने पर, माता को;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(**vii**) ऊपर (i) से (vi) के न होने पर, सबसे बडी जीवित विवाहित पुत्री को;

(**viii**) ऊपर (i) से (vii) के न होने पर, अट्ठारह वर्ष से कम आयु के सबसे बडे जीवित भाई को;

(**ix**) ऊपर (i) से (viii) के न होने पर, सबसे बडी जीवित अविवाहित बहन को;

(**x**) ऊपर (i) से (ix) के न होने पर, सबसे बडी जीवित विधवा बहन को; और

(**xi**) ऊपर (i) से (x) के न होने पर, मृत ज्येष्ठ पुत्र के सबसे बडे बच्चे को।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 1999 एवं इस विषय में समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों की शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2021/जी-2-151(1)/दस-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।